न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 85 सन 2019

अनवान :–

1. बसीम अकरम पुत्र अलीशेर जाति कलाल साकन चक 14 बारानी कलालों की ढाणी तहसील नोहर।

बनाम

1. अलीशेर पुत्र ज्यान मोहम्मद जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालों की ढाणी तहसील नोहर।
2. मुमताज 3 साहजिदा 4 जेबुनिशा पुत्रीया अलीशेर जाति कलाल साकिन चक 14 बारानी कलालों की ढाणी तहसील नोहर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशो जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 13.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 28 एनटीआर के खाता संख्या 62/54 के प0न0 320/424(73) के किला न0 1/0.253 ,7 ता 25/4.9590हैक प0न0 0 मु0न0 53/68 के किला न0 0/2 की 0.0760हैक गै0मु0रास्ता प0न0 0 मु0न0 83/70 के किला न0 0 कि 0.025हैक गै0मु0रास्ता कुल 5.0600हैक भूमि जिसके ज्यान मोहम्मद खातेदार काश्तकार थे इसी प्रकार रोही मौजा चक 30 एनटीआर के खाता संख्या 58/55 के प0न0 319/424(81) के किला न0 5 ,6 ,14 ता 18 व 23 ता 25 कुल 3.2890हैक भूमि जिसके ज्यान मोहम्मद खातेदार काश्तकार थे एवं चक 26 एनटीआर के खाता संख्या 7/6 की कुल 3.759हैक भूमि जो ज्यान मोहम्मद खातेदार काश्तकार था।

वादी का दादा ज्यान मोहम्मद के देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्रों पर औद हुई और वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में रोही मौजा चक 28 एनटीआर के खाता सख्या 62/54 की कुल 5.0600हैक रोही मौजा चक 30 एनटीआर के खाता संख्या 58/55 की कुल 3.289हैक रोही मौजा चक 26 एनटीआर के खाता संख्या 7/6 की कुल 3.7950हैक भूमि सयुक्त तौर से खातेदार काश्तकार दर्ज हुई है जिसके काररण वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया वादी एव प्रतिवादी सख्या 1 के पक्ष किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी हे वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के

1 अकरम

.....2....पर

Web Copy - Not Official

दादा नानू के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरासतन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन मे राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरासतन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 28 एनटीआर के प0न0 62/54 की कुल तादादी 5.0600हैक , रोही मौजा चक 30 एनटीआर के खाता संख्या 58/55 की कुल 3. 2890हैक , रोही मौजा चक 26 एनटीआर के खाता संख्या 7/6 की कुल 3.7950हैक यानि तीनो खातों में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि का वादी अकेला खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Sd/-
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

म आकरम